गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
8.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
10.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
11.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
12.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
13.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

01 प्रो0 ए.एस. रणदिवे

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.08.2019 एवं अति आवश्यक बैठक दिनांक 11.09.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.08.2019 एवं अति आवश्यक बैठक दिनांक 11.09.2019 के कार्यवृत्त की निम्नानुसार संशोधन के साथ सम्पुष्टि की गयी :-

"बैठक दिनांक 11.09.2019 के कार्यवृत्त के अंतिम पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाये-

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आचार्य एवं सह-आचार्य पदों के लिए साक्षात्कार के दौरान अंको का विभाजन 100 अंकों में से 50 अंक weightage तथा 50 अंक domain knowledge & interview के लिए निम्नानुसार किया गया"

50 marks weightage- total points scored will be calculated as per the Table 2 as given in the UGC Regulations 2018. Then the effective marks as weightage will be calculated as follows

$$\frac{\text{(Total Points Scored – Minimum Required Academic/Research Points)}}{50}$$

(subject to a maximum of 50 marks)

Remaining 50 marks – 30 marks for domain knowledge, 20 marks for interview

विषय क्र. 02 **शोध, सेमीनार, कांफ्रेंस, वर्कशाप एवं शिक्षण इत्यादि संयुक्त सहयोग हेतु टूंकू अब्दुल रहमान, विश्वविद्यालय (यू.टी.ए.आर.) एवं गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के मध्य समझौता ज्ञापन प्रस्ताव विचारार्थ बाबत्।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय टूंकू अब्दुल रहमान (यू.टी.ए.आर.) के साथ समझौता ज्ञापन संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथा समझौता किये जाने की आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाय।

विषय क्र. 03 **बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन पर विचार एवं घोषित परिणाम की पुष्टि पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रम के अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम के अध्यादेशों के प्रावधानों पर पुनर्विचार एवं समीक्षा हेतु समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 04 **नवीन सी.बी.सी.एस. प्रणाली के अंतर्गत प्रकाशित अध्यादेशों एवं अध्यादेशों से संबंधित विद्यमान परीक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में परिलक्षित गंभीर कठिनाईयों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि नवीन सी.बी.सी.एस. प्रमणाली के अंतर्गत प्रकाशित अध्यादेशों एवं अध्यादेशों से संबंधित विद्यमान परीक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में परिलक्षित गंभीर कठिनाईयों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथा प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रसारण हेतु स्पष्टीकरणयुक्त कार्यालयीय ज्ञाप जारी किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रवेशित विद्यार्थियों पर भी प्रभावी किया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम के अध्यादेशों के प्रावधानों पर पुनर्विचार एवं समीक्षा विषय क्रमांक–3 के अंतर्गत गठित समिति से करायी जाय।

विषय क्र. 05 **सी.बी.सी.एस. प्रणाली के तहत संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों का अनुमोदन पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल इतिहास, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, आई.टी., कम्प्युटर साईंस इंजीनियरिंग, आई.पी. इंजीनियरिंग एवं शिक्षा के प्रस्तुत कार्यवृत्तों का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 06 **VRET 2019–20 परीक्षा आयोजन पर विचार।**

स्थायी समति ने यह निर्णय लिया कि VRET परीक्षा का आयोजन शैक्षणिक सत्र 2019–20 में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार एक बार करा लिया जाय तथा सत्र 2020–21 नियत रूप से वर्ष में दो बार VRET परीक्षा का आयोजन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि VRET परीक्षा के आयोजन हेतु प्रश्नपत्रों की भाषा क्या हो, इस पर विचार एवं निर्णय हेतु विषय स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 07 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "केयर संदर्भ सूची" के संबंध में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना दिनांक 16.09.2019 के अंगीकरण पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि "केयर संदर्भ सूची" के संबंध में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना दिनांक 16.09.2019 को अंगीकृत किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि जारी सूचना के अनुक्रम में विभिन्न प्रावधान दिनांक 14.06.2019 से विश्वविद्यालय में प्रभावी किये जायेंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार

अ.अ.वि.क्र. 01 **विश्वविद्यालय के "Centre for Endangered Languages" के विभिन्न पदों हेतु न्यूनतम अहर्ताओं एवं विज्ञापन प्रसारण पर विचार संबंधी।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का स्थायी समिति के द्वारा सुझाये गये अनुशंसाओं के साथ अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र. 02 **अध्ययनशाला अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शैक्षणिक पदों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के संविक्षण संबंध।**

स्थायी समिति ने अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के द्वारा अंकित किये गये परीक्षण बिन्दुओं पर चर्चा की।

निर्णय लिया गया कि ए.आई.सी.टी.ई. विनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाय।

अ.अ.वि.क्र. 03 NAD में विश्वविद्यालय के उपाधि पत्रों को अपलोड किये जाने एवं दिनांक 30 सितम्बर के बाद उसमें शुल्क लगने संबंधी जानकारी परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रदान किये जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2018–19 के दीक्षांत समारोह आयोजन में विलम्ब होने के कारण NAD में डाटा दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के पूर्व अपलोड कर लिये जायें एवं ऐसी उपाधियों में प्रिंट होने वाली तिथि डाटा को अपलोड करने की तिथि माना जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (प्रभारी) / सचिव **कुलपति / अध्यक्ष**